चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य ₹2 प्रति किलो बढ़ाया गया

[एजेंसी | नई दिल्ली]

लोकसभा चुनावों से पहले बढ़ते गन्ने के बकाया को लेकर सरकार ने गुरुवार को चीनी के न्यूनतम विक्रय मूल्य में दो रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी करते हुए इसे 31 रुपये कर दिया है ताकि चीनी मिलों को गन्ना किसानों का बकाया चुकाने में मदद मिल सके।

न्यूनतम बिक्री मूल्य (एमएसपी) वह दर है जिसके नीचे चीनी मिलें खुले बाजार में थोक विक्रेताओं के अलावा पेय पदार्थों और बिस्किट निर्माताओं जैसे थोक उपभोक्ताओं को चीनी की बिक्री नहीं सकती हैं। खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने बताया, 'हमने चीनी के न्यूनतम मूल्य को 29 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 31 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया है। इससे चीनी मिलों को गन्ना किसानों का भुगतान करने में मदद मिलेगी।'

चीनी उद्योगों के प्रमुख संगठन भारतीय चीनी मिल संघ (इस्मा) ने हाल में कहा था कि जनवरी के अंत में गन्ने का बकाया लगभग 20,000 करोड़ रुपये था। गन्ना बकाया के मामले को लेकर पिछले दिनों शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और मोदीनगर में काफी विरोध प्रदर्शन हुआ था। मार्केट में जरूरत से ज्यादा सप्लाई के बीच गन्ना मिलों को किसानों का भुगतान करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

बीते साल जून में सरकार ने मिनिमम मिल गेट प्राइस 29 रुपये प्रति किलो तय किया था और कहा था कि अगर फेयर रेमुनेरेटिव प्राइस (एफआरपी) में बढ़ोतरी होती है तो वह इसे दोबारा संशोधित कर सकती है। एफआरपी वह न्यूनतम कीमत होती है, जिसकी गन्ना किसानों को कानूनी तौर पर भुगतान करने की गारंटी दी जाती है। हालांकि उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और पंजाब में किसानों को स्टेट-एडवाइज्ड प्राइस (एसएपी) के आधार पर भुगतान किया जाता है।

Economic Times
15/2/2019